(१)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–92/2016–17

शिव नारायण महतो वगैरह बनाम राजू महतो वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12/5/18	**आदेश** आवदेकगण के द्वारा यह वाद विपक्षीगण की जमाबंदी सं0 3310, 3311, 3312 एवं 3313 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। विपक्षीगण को नोटिस की गयी, जो बिना तामिला के वापस हो गयी। आवेदकगण ~~को~~ लगातार सुनवाई की निर्धारित तिथि 15.07.2017, 30.08.17, 24,10.17, 12.12.17, 24.01.18, 20.03.18 को उपस्थित नहीं हुए। आवेदक आज भी अनुपस्थिति है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नहीं है। आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 3434/2016–17, 3435/2016–17, 3436/2016–17 एवं 3437/2016–17 से कायम विपक्षीगण की जमाबंदी को रद्द करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। वास्तव में यह वाद उपर्युक्त दाखिल खारिज वादों में दिनांक 18.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है, जिसके लिए आवेदकगण को बिहार भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील दायर की जानी चाहिए थी। आवेदकगण चाहें तो दाखिल खारिज वादों में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** ह० 12/5/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना ह० 12/5/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	